

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-1) विभाग


क्रमांक : प.5(1) कार्मिक / क-1 / 2010

जयपुर, दिनांक : 24-02-2010

आज्ञा


श्री सलाउद्दीन अहमद, आई.ए.एस., अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं होर्टिकल्चर विभाग, राजस्थान, जयपुर अपने पद के कार्य के साथ अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पद का कार्य भी अग्रिम आदेशों तक सम्पादित करेंगे।

आज्ञा से,


(शिल्पा)
शासन उप सचिव


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त मंत्री / राज्यमंत्री / संसदीय सचिव, राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त।
7. समस्त कण्ट्रोलिंग अधिकारी।
8. समस्त सम्वन्धित अधिकारी।
9. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
11. रक्षित पत्रावली / निजी पत्रावली।
12. अन्य सभी सम्वन्धित।


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, शासन सचिवालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. प्रमुख आवासीय आयुक्त, राजस्थान सरकार, बीकानेर हाऊस, पण्डारा रोड, नई दिल्ली।


शासन उप सचिव



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 4, मंगलवार, शाके 1931-फरवरी 23, 2010
Phalguna 4, Tuesday, Saka 1931-February 23, 2010

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

Department of Women & Child Development

NOTIFICATION

Jaipur, February 23, 2010

No.F/DWCD/ICDS/Uni-Cons/09-10/ 11919.-In exercise of the powers conferred by section 17 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (Central Act No. 4 of 2006), the State Government hereby constitutes the Rajasthan State Commission for Protection of Child Rights with immediate effect. The Headquarter of the Commission shall be at Jaipur.

सरिता सिंह,

Secretary to the Government.